न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई०ए०एस०)

अपील संख्या :– 467 / 2017 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2017/00497)

दौलतसिंह पुत्र श्री घनीराम जाति ठाकुर निवासी ग्राम आजऊ तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.............अपीलान्ट

बनाम

1. दीवानसिंह
2. विजयसिंह
3. सुम्मेरसिंह
4. विजयपाल

पिसरान सागरिया कौम ठाकुर निवासी ग्राम सीही तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.... **रैस्पोडेन्टस**

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 24.7.2017 प्र0सं0 3 / 2012 दौलतसिंह बनाम दीवानसिंह व अन्य

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेन्द्रसिंह वकील अपीलान्ट।
2. श्री मोहनसिंह राना वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 16.08.2022

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 24.7.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट दौलतसिंह द्वारा एक अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट सहायक भूप्रबन्ध

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अधिकारी कुम्हेर के आदेश दिनांक दिनांक 7.6.1984 प्रकरण संख्या 16/84 उनवान दीवानसिंह बनाम सागरीया एवं पत्रावली संख्या 2584/83 निर्णय दिनांक 10.10.1983 के विरूद्ध इस आशय की प्रस्तुत की गई कि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी अपीलान्ट के गत ख0नं0 34 मिन रकबा 3–5 बिस्वा से हाल ख0नं0 का रकबा 065/0.57 बनाया जाकर व कच्चे पक्के पर्चे नक्शा जारी कर दिया गया । इनका कहना है कि रैस्पो0 का इस से कोई लेना देना नहीं है। ख0नं0 69 का कोई रकबा नहीं था। मौके के अनुसार स्थिति के अनुसार सही नम्बर में शामिल किया गया है। रैस्पो0 ने भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों से मिल कर पेचीदा तरीके से विधि विपरीत क्षेत्राधिकार से परे एवं मौके के विपरीत रकबा वेशी व त्रुटीपूर्ण नक्शा बनवा लिया है जो मौके के विपरीत है। रैस्पो0 द्वारा बिना किसी आधार के अपने हक में निर्णय करा लिया है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने प्रार्थना पत्र से हट कर हर दो आदेश पारित किये है जो काबिल खारिजी है। भू प्रबन्ध विभाग ने कसीद त्रुटीपूर्ण नक्शा हाल से व दर्शित रास्ता खसरा नम्बर 65,68,69 व 70 पूरा न दिखा कर मैडबन्दी व लाईनिंग कर डॉट लगा कर प्रदर्शित किया है वह मौके के विपरीत है। आमद रफत रास्ते की पैमाईश भी सही नहीं बैठती है । यह कि भूप्रबन्ध विभाग ने अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित किया है। यह कि भूप्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने पर उक्त हरदो आदेशों की सुनवाई क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर को है। भूप्रबन्ध विभाग के उक्त हर दो आदेशों की जानकारी दिनांक 22.1.2012 को हुई क्यों कि उक्त आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किये गये थे। धारा 5 प्रार्थना पत्र संलग्न है अपील मियाद शुमार की जाकर भू प्रबन्ध विभाग के हर दो आदेश क्रमशः 7.6.1984 एवं दिनांक 10.10.1983 निरस्त किये जाकर अपीलान्ट के रकबा डॉट नक्शा साविक के मुताबिक व मौके के अनुसार परिवर्तित करवाये जावे।

तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.7.2017 पारित करते हुये अपील न्यायालय जिला कलक्टर में मेन्टेबिल नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज कर दी गई। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

संभागीय आयुक्त कार्यालय भरतपुर संभाग

16.8.2022
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर का निर्णय दिनांक 24.7.2017 कानून के खिलाफ व पत्रावली के साक्ष्यों के विपरीत है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृति व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है एवं विधि सम्मत नहीं होने के कारण काबिले मंसूखी है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं किया है कि नजीर आर0आर0डी0 1977 एन यू सी 31 पेज 14 उक्त अपील पर चस्पा नहीं होती है, फिर भी यह मानते हुये कि अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा में मैन्टेबिल नहीं होने से खारिज कर दी गई है। वकील अपीलान्ट ने आर.आर.डी. 2003 पृष्ठ संख्या 68 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि भू–प्रबन्ध संबंधी कार्यवाही समाप्त होने के बाद प्रकरण सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी को स्थानान्तरित किये जाने तथा 135(2) के तहत निर्णित प्रकरणों की अपील भू–अभिलेख निदेशक जो कि संभागीय आयुक्त है, को की जा सकती है। अतः अदालत मातहत का यह मत है कि उन्हें सुनवाई का अधिकार नहीं है, उचित नही है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय नहीं करने में कानूनी भूल की है। तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर को यह अपील टैक्नीकल बिन्दु पर खारिज न कर प्रकरण के वास्तविक तथ्यों की मीमांशा उपरान्त गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था जो तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा नहीं किया गया इसलिए यह अपीलाधीन आदेश काबिले मंसूखी है। इसके अलावा तहत अदालत ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि विवादित मुकदमें काएक ही मैटर है न कि दो, बल्कि रैस्पोडेन्ट द्वारा पेचीदा तरीके से सभी तथ्यों को छिपाते हुये अपने हक में विधि विरूद्ध , लीक से हटकर प्रकरण संख्या 16/84 निर्णय दिनांक 7.6.1984 व प्रकरण संख्या 2584/83 निर्णय दिनांक 10.10.1983 पारित कराये है जो अपास्त योग्य है।

अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 24.7.2017 न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर अपास्त किया जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.7.207 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत

16.8.2017
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि अपीलाधीन निर्णय भू–प्रबन्ध संबंधी कार्यवाही के दौरान पारित किया गया है। अतः इस निर्णय के विरूद्ध उनके न्यायालय में अपील नहीं हो सकती है। इस संबंध में वकील रैस्पों० द्वारा 2015(2)आर.आर.टी. पृष्ठ संख्या 193 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण के विरूद्ध अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष पोषणीय है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश को क्षेत्राधिकारिता के बाहर मानकर अपास्त किया गया है। इसलिए विद्वान जिला कलक्टर द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। इसके अलावा विद्वान जिला कलक्टर ने अपीलाधीन निर्णय में आर.आर.टी. 1977 एन.यू.सी. 31 पेज 14 पर प्रतिपादित सिद्धान्त के सही व्याख्या करते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की गई है। जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.07.2017 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनने व मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली व उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण के द्वारा बहस में वर्णित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है क्योंकि अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में जो अपील पेश की गई थी, वह अपील सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान पारित किये गये दो आदेशों के विरूद्ध पारित की गई थी। उक्त अपील में विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा दिनांक 24.07.2017 को जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह स्पष्ट व स्पीकिंग है। इस आदेश में आर.आर.डी. 1977 एन.यू.सी. 31 पेज 14 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में अपील उनके न्यायालय में मेन्टिनेवल नहीं होने के आधार पर खारिज की गई है, जो कि उचित प्रतीत होता है। जहां तक अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की ओर से बहस में वर्णित नजीर आर.आर.डी. 2003 पृष्ठ 68 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का प्रश्न है तो उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

से हम सादर सहमत है परन्तु अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य उपरोक्त नजीर में वर्णित तथ्यों से भिन्न होने के कारण उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। क्योंकि उक्त नजीर में यह माना गया है कि भू-प्रबन्ध संबंधी कार्यवाही के दौरान सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार भू-प्रबन्ध अधिकारी को है तथा भू-प्रबन्ध संबंधी कार्यवाही समाप्त होने के बाद अधिनियम की धारा 135(2) के तहत प्रकरणों में भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध धारा 75(1) के तहत प्रथम अपील निदेशक भू-अभिलेख को की जा सकती है। अर्थात उपरोक्त नजीर के आधार पर भी सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील सुनने की क्षेत्राधिकारिता जिला कलक्टर को नहीं है। दूसरी ओर रेस्पा0 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजीर आर.आर.टी.2015(2)पृष्ठ 1093 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते हैं क्योंकि उक्त नजीर में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 व 84 के तहत सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील भू-प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष पोषणीय थी। अतः उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी की ओर से पारित आदेश के विरूद्ध अपील सुनने की क्षेत्राधिकारिता जिला कलक्टर की नही थी। अपीलाधीन निर्णय में वर्णित नजीर आर.आर.डी. 1977 एन.यू.सी. 31 पेज 34 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त में इस प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.07.2017 में किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं पाए जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.07.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर